भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 246
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- दलहन का उत्पादन
***246. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**
श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दलहन का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद बड़े पैमाने पर दलहन का आयात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक जिलों विशेषकर राजस्थान के झुंझुनू, चुरू, श्रीगंगानगर, नागौर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिलों के दलहन उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकार द्वारा कितनी मात्रा में दलहन का आयात और निर्यात किया गया तथा इसके आयात पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार देश में इन दालों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मूंग, मोठ, चना और अरहर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष नीति या कार्ययोजना बना रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और किसानों को इसका लाभ कब तक मिलने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दलहन का उत्पादन" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 10 **मार्च**, 2026 **को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 246 के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।**

(क) एवं (ख): भारत विश्व में दलहन के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में दलहन का उत्पादन वर्ष 2015-16 के दौरान 163.23 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान 256.83 लाख टन हो गया है जो पिछले 9 वर्षों के उत्पादन से 57% ज्यादा है। हालांकि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, बढ़ती घरेलू आय के कारण दलहन के पोषण संबंधी लाभों के संबंध में बढ़ती जागरूकता से इनकी मांग में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को पाटने, घरेलू बाजार में दलहन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए समय-समय पर आयात किया जाता है। सरकार दलहन के बाजार पर कड़ी निगरानी रखती है और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मात्रात्मक प्रतिबंध, टैरिफ और स्टॉक सीमा जैसे उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से आयात को विनियमित करती है। विगत तीन वर्षों में दलहन का आयात वर्ष 2022-23 में 24.96 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2023-24 में 47.39 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2024-25 में 72.56 लाख मीट्रिक टन रहा। इसी अवधि में दलहन का निर्यात क्रमशः 7.63 लाख मीट्रिक टन, 5.94 लाख मीट्रिक टन और 7.31 लाख मीट्रिक टन रहा। सरकार द्वारा दालों के आयात पर कोई व्यय नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका आयात निजी व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के अंतर्गत दलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। रबी 2025 से, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) जैसी केंद्रीय एजेंसियां राजस्थान सहित सभी राज्यों के पंजीकृत किसानों से सीधे तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित खरीद करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 18.40 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की गई जिससे 9.35 लाख किसानों को लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में दलहन की खरीद का जिलेवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) सरकार ने अक्तूबर 2025 में 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

इस मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ-साथ किसानों के लिए जलवायु अनुकूल बीजों का उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करना, दलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना और फसलोपरांत भंडारण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। दलहन मिशन के अंतर्गत, विभिन्न अवयवों जैसे कि बीज उत्पादन, प्रमाणित बीजों का वितरण, नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, क्षमता निर्माण, बीज किट वितरण और फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के द्वारा दलहन किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मिशन के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के प्रावधानों के अनुरूप अगले चार वर्षों के लिए नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर (तूर), उड़द और मसूर की खरीद का भी समर्थन किया जाता है। दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार के लिए इस मिशन के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के विकास हेतु लक्षित अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। फसलोपरांत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के दौरान प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राजस्थान राज्य में दलहन की खरीद की मात्रा का जिलेवार विवरण:

(मात्रा: लाख मीट्रिक टन)

जिला	2022-23	2023-24	2024-25
चुरू	0.20	0.05	0.21
हनुमानगढ़	0.04	0.00	0.04
झुंझुनूं	0.09	0.05	0.03
नागौर	0.64	0.17	0.46
श्रीगंगानगर	0.04	0.00	0.06
कुल	**1.01**	**0.27**	**0.80**

****